न्यायालय उपखण्डाधिकारी सरमथुरा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः- श्री मौहम्मद ताहिर आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी सरमथुरा

उनवान

गोरेलाल वगैरा बनाम रामजीलाल वगैरा

1. गोरेलाल पुत्र हीरालाल
2. राजाराम पुत्र हीरालाल
3. रामनाथ पुत्र हीरालाल
4. सूआबाई वेवा हीरालाल जातिगण मीना निवासी हुलासपुरा ग्राम पंचायत बरौली तहसील सरमथुरा

--- वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्यामा(दौरान दावा फौत)
   a. रामस्नेही पुत्र रामजीलाल
   b. रामनरेश पुत्र रामजीलाल
   c. जयकिशन पुत्र रामजीलाल
   d. किशनसिंह पुत्र रामजीलाल
   e. मंगलबाई पुत्री रामजीलाल
   f. पूरनबाई पुत्री रामजीलाल
   g. भागवती वेवा रामजीलाल जाति मीना निवासी हुलासपुरा तहसील सरमथुरा
2. रामलखन पुत्र देवीलाल
3. रायसिंह पुत्र देवीलाल
4. जीतेन्द्रसिंह पुत्र देवीलाल
5. कम्बोदा वेवा देवीलाल जाति मीना निवासी हुलासपुरा तहसील सरमथुरा
6. हरभेजी वेवा सीताराम
7. कल्याणसिंह पुत्र सीताराम
8. गोपालसिंह पुत्र सीताराम
9. महाराजसिंह पुत्र सीताराम
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा

---प्रतिवादीगण

उपस्थिति वादी के वकीलः- **श्री सुखराम सिंह परमार एड.**
दावा अन्तर्गत धारा **53,188 आर.टी.एक्ट**

प्रकरण संख्या- 09/2016

दिनांकः- 9.6.2018

निर्णय

दावा वादी में दिनांक 5.6.2018 को वादी प्रतिवादीगण द्वारा खाता विभाजन कराने हेतु राजीनामा पेश किये जाने पर दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी ख.नं.48 रकबा 0.19हैक्टेयर, 49 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 50 रकबा 0.20हैक्टेयर, 56 रकबा 0.20हैक्टेयर, 57 रकबा 0.01हैक्टेयर, 58 रकबा 0.22हैक्टेयर, 191 रकबा 0.38हैक्टेयर, 404 रकबा 0.03हैक्टेयर, 405 रकबा 0.03हैक्टेयर, 515 रकबा 0.19हैक्टेयर, 516 रकबा 0.05हैक्टेयर कुल किता 11 रकबा 1.77हैक्टैयर तथा आराजी खसरा नंबर 528 रकबा 0.19हैक्टेयर, 530 रकबा 0.07हैक्टेयर, 531 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 533 रकबा 0.24हैक्टेयर, 536 रकबा 0.19हैक्टेयर, 537 रकबा 0.19हैक्टेयर, 538

रकबा 0.18हैक्टेयर, 543 रकबा 0.44हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.58हैक्टेयर वाके ग्राम हुलासपुरा तहसील सरमथुरा के कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार सरमथुरा को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजी गई। तहसीलदार सरमथुरा द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाये गये जिन पर बहस सुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्राप्त कुर्रेजात के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई। उभय पक्ष द्वारा दी गई सहमति एवं तहसीलदार, सरमथुरा से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के नाम तदनुरूप रिकॉर्ड पटवार ग्राम हुलासपुरा पटवार मण्डल बरौली में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं –

1. सुआबाई पत्नि हीरालाल
गोरेलाल, राजाराम, रामनाथ पुत्रान हीरालाल कौम मीना सा.देह खातेदार

ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
528	0.19	चाही प्रथम	5.70
530	0.07	चाही प्रथम	2.10
48	0.19	चाही सोयम	3.61
50	0.20	चाही सोयम	5.80
56	0.20	चाही सोयम	3.80
किता–5	0.85		21.01

2. किम्मोदा पत्नि देवीलाल, रामलखन, रामसिंह, जितेन्द्र पुत्रान व गीता, अनीता पुत्रीयान देवीलाल हिस्सा 5/24, व भागवती पत्नि रामजीलाल, रामस्नेही, रामनरेश, जयकिशन, किशनसिंह पुत्रान व मंगलवाई, पूरनवाई पुत्रीयान रामजीलाल हि.5/24 व हरभेजी पत्न सीताराम, गोपाल, महाराजसिंह पुत्रान सीताराम हि.21/48 व ल्हौरी पत्नि कल्याणसिंह, गिर्राज, भरतलाल, कन्हैया पुत्रान व कमलेश, पूरनदेई, विज्जो पुत्रियान कल्यानसिंह हि. 7/48 कौम मीना सा.देह

ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
531	0.08	चाही प्रथम	2.40
533	0.24	चाही प्रथम	7.20
536	0.19	चाही प्रथम	5.70
537	0.19	चाही प्रथम	5.70
538	0.18	चाही प्रथम	5.40
543	0.44	चाही प्रथम	13.20
किता–6	1.32		39.60

3. किम्मोदा पत्नि देवीलाल, रामलखन, रामसिंह, जितेन्द्र पुत्रान देवीलाल व गीतावाई, अनीता पुत्रीयान देवीलाल हिस्सा 1/2 व भागवती पत्नि रामजीलाल, रामस्नेही, रामनरेश, जयकिशन, किशनसिंह पुत्रान व मंगलवाई, पूरनवाई पुत्रीयान रामजीलाल हि.1/2 कौम मीना सा.देह खातेदार

ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
49	0.27	चाही सोयम	5.13
57	0.01	गै.मु.कुआं	0.00
58	0.22	चाही सोयम	4.18
191	0.38	वारानी दोयम	2.28
404	0.03	वारानी दोयम	0.18
405	0.03	गै.मु.गैत	0.00
515	0.19	चाही दोयम	4.56
516	0.50	चाही दोयम	1.20
किता–8	1.63		17.53

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर

डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम से शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.6.2018 को कोर्ट कैम्प में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा